न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2018 (राजसमन्द आर्डर)

1. हीरसिंह पिता वजेसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, पटेलो की गवाडी, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
2. रूपसिंह पिता वजेसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मांगूसिंह पिता वजेसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
4. श्रीमती नवली बाई पत्नी वजेसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
5. सोहनसिंह पिता सूरतसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
6. लालसिंह पिता सूरतसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)
7. श्रीमती मगनी बाई पत्नी सूरतसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

धूलसिंह पिता मोतीसिंह जी राजपूत, निवासी मोलेला, पटेलो की गवाडी, तहसील खमनोर, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 12.12.2017 प्र॰सं॰ 53/2016

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री फतहलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री सुरेश खटीक अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णय दिनांक

18—03—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट की ओर से हाल अपीलान्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम मोलेला में खाता संख्या 473 में वर्णित कुल किता 10 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थित होकर प्रार्थी के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी ही उसका एक मात्र खातेदार होकर उपयोग—उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र आराजी नंबर 2083 रकबा 7 बिस्वा एवं 2093 रकबा 11 बिस्वा के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया गया है, जिससे विपक्षीगण का कोई संबंध नहीं है, फिर भी विपक्षीगण प्रार्थी के उपयोग—उपभोग में बाधा व अवरोध उत्पन्न करने पर उतारू हैं। अतएवं विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उक्त भूमि पर प्रार्थी के उपयोग—उपभोग में बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये जाने पर विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित आराजी रकबा 13 बिस्वा भूमि रास्ते के रूप में उपयोग—उपभोग में आ रही है तथा रास्ते संबंधी अधिकार उनके परिपक्व हो चुके हैं। अतएवं प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12—12—2017 से प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलान्ट/ विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–02–2018 को पे"ा की गई है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 को अपने अधिवक्ता से मिलने पर आज दिनांक 14–02–2018 को ही उक्त निर्णय की जानकारी हुई है, इससे पूर्व उन्हें उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए देरी का पर्याप्त कारण होने से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

हमने उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12–12–2017 की अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–02–2018 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु यह अपील 3 दिन विलम्ब से प्रस्तुत हुई है, जिसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने आवेदन में दर्शाये हैं, न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रहते हुए उक्त आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश खटीक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं बताया कि अपीलान्टगण के सुखाधिकार के तहत रास्ते संबंधित अधिकार परिपक्त हो जाने के बावजूद उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गयी है, जो काबिल निरस्ती के है, क्योंकि अपीलान्टगण 50 वर्षो से उक्त रास्ते का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए जो निर्णय

पारित किया है, वह विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में साबित होना मानकर प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है तथा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा भी इन्हीं भूमियों बाबत् विस्तृत विवेचन करते हुए अपीलान्टगण के लिए अन्य भूमियों से उनकी भूमि पर जाने का रास्ता मानते हुए अपीलान्टगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना खारिज किया है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी विवादित भूमियों का खातेदार है तथा अपीलान्ट/विपक्षीगण के पास अपनी भूमियों पर आने–जाने हेतु अन्य रास्ता उपलब्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध मूलवाद के निस्तारण तक जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–12–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 18–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर